

प्रेस नोट दिनांक 23.11.2025

प्रेस नोट दि0-23.11.2025

थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट व विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण/नेतृत्व में थानाध्यक्ष अंकुर कैथवास मय हमराह हे0 का0 हरिश्चन्द्र बिन्द द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 74/123/64/352/351 (3) बीएनएस व पॉक्सो एक्ट व 3/5 (1) विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि० में वांछित 01 अभियुक्त गुलशाद पुत्र नशीत निवासी ग्राम शिवसत थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष को थाना दिलीपपुर क्षेत्रांतर्गत रानी राजेश्वरी कॉलेज के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

गुलशाद पुत्र नशीत निवासी ग्राम शिवसत थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष ।

पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष अंकुर कैथवास मय हमराह हे0 का0 हरिश्चन्द्र बिन्द थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 23.11.2025

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लीलापुर के उ0नि0 विनीत कुमार यादव मय हमराह हे0का0 एजाज अहमद द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्त के दौरान मा०न्यायालय ACJM 13 प्रतापगढ़ द्वारा अ0सं0 270/98 धारा 147/504/506 भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित वारंटी अभियुक्त जंगा उर्फ जगा पासी पुत्र रामधनी नि० घरौरा थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 65 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. जंगा उर्फ जगा पासी पुत्र रामधनी नि० घरौरा थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 65 वर्ष ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 विनीत कुमार यादव मय हमराह हे0का0 एजाज अहमद थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 23.11.2025,

थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा हत्या एवं हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट से संबंधित 02 अभियुक्तों एवं 01 नाबालिक की गिरफ्तारी-

अभियुक्तों को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत मवई बायपास के पास से गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक **22.11.2025** को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ताजपुर सरियावा में समय करीब **21.30** बजे प्रथम पक्ष (मृतक) फुरकान पुत्र मुअज्जम तथा द्वितीय पक्ष तनवीर पुत्र महमूद अली के बीच बच्चों को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। विवाद के दौरान गोली लगने से फुरकान की मृत्यु हो गई तथा उसके भाई साहिल पुत्र मुअज्जम को गंभीर चोटें आईं।

इस संबंध में थाना कुण्डा पर मु0अ0सं0 328/25, धारा 103(1)/109/3(5)/352 बीएनएस एवं 30 आर्म्स एक्ट में 04 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना कुण्डा पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

थाना कुण्डा पुलिस टीम—प्रभारी निरीक्षक कुण्डा श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में उ0नि0 अंकित सिंह, उ0नि0 निर्मल कुमार शर्मा, महिला का0 दिपांजली गुप्ता, म0का0 अनुराधा राठौर, का0 उमाशंकर भारती, का0 भूपेन्द्र सिंह तथा चालक का0 अभिमन्यू सिंह —द्वारा क्षेत्र में देखभाल, वांछित/संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर मवई बायपास के पास से हत्या व हत्या का प्रयास संबंधित अभियोग से जुड़े 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा 01 नाबालिक बाल अपचारी को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

अभियुक्तों के कब्जे से 02 अदद लाईसेंस असलहा डीबीबीएस गन 12 बोर व 315 बोर राईफल तथा घटना स्थल से 02 अदद लाठी 01 अदद खोखा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. मो० सोहराब पुत्र महमूद अली उम्र 42 वर्ष,
02. मो० तनवीर पुत्र महमूद अली उम्र 44 वर्ष, निवासीगण ताजपुर सरियांवा थाना कुंडा जनपद प्रतापगढ़।
03. 01 नाबालिक बाल अपचारी निवासी ताजपुर सरियांवा थाना कुंडा जनपद प्रतापगढ़।

आपराधिक इतिहास-

01- मो० तनवीर पुत्र महमूद अली उम्र 44 वर्ष, निवासी ताजपुर सरियांवा थाना कुंडा जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास -

01. मु०अ०सं० 19/10 धारा 110(G) दंड प्रक्रिया संहिता थाना कुण्डा प्रतापगढ़,
02. मु०अ०सं० 94/11 धारा 110(G) दंड प्रक्रिया संहिता थाना कुण्डा प्रतापगढ़
03. मु०अ०सं० 417/19 धारा 143/145/147/149/186/188/341/353 भादवि थाना कुण्डा प्रतापगढ़,
04. मु०अ०सं० 167/20 धारा 188/270 भादवि थाना कुण्डा प्रतापगढ़,
05. मु०अ०सं० 271/20 धारा 323/504/506 भादवि थाना कुण्डा प्रतापगढ़
06. मु०अ०सं० 290/20 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना कुण्डा प्रतापगढ़ व
07. मु०अ०सं० 299/21 धारा 147/323/504/506/352 BNS व 3(1)(घ)/3(1)(र)/3(2)(वा) SC/ST ACT थाना कुण्डा प्रतापगढ़,
08. मु०अ०सं० 205/22 धारा 501/506 भादवि व 3(1)(घ)/3(1)(र)/3(2)(वा) SC/ST ACT थाना हथिगवां प्रतापगढ़ व
09. मु०अ०सं० 306/23 धारा 120-B/323/504/506 भादवि थाना मानिकपुर प्रतापगढ़।

02- अभियुक्त मो0 सोहराब पुत्र महमूद अली उम्र 42 वर्ष निवासी ताजपुर सरियांवा थाना कुंडा जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 373/20 धारा 147/148/149/323/325/504/506 भादवि थाना कुण्डा प्रतापगढ़,

02. मु0अ0सं0 272/20 धारा 323/504/506 भादवि थाना कुण्डा प्रतापगढ़,

03. मु0अ0सं0 271/20 धारा 323/504/506 भादवि थाना कुण्डा प्रतापगढ़ व

04. मु0अ0सं0 290/20 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना कुण्डा प्रतापगढ़

बरामदगी-

02 अदद लाईसेंसी असलहा डीबीबीएस गन 12 बोर व 315 बोर राईफल तथा घटना स्थल से 02 अदद लाठी 01 अदद खोखा कारतूस 12 बोर बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक कुण्डा श्री अवन कुमार दीक्षित मय उ0नि0 अंकित सिंह व उ0नि0 निर्मल कुमार शर्मा मय हमराह, महिला दिपांजली गुप्ता, म0का0 अनुराधा राठौर, का0 उमाशंकर भारती, का0 भूपेन्द्र सिंह मय चालक का0 अभिमन्यू सिंह थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 23.11.2025,

थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास व छेड़खानी के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त महेन्द्र उर्फ भोला सोनकर को गिरफ्तार किया गया-

अभियुक्त को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत विदासिन नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 22.11.2025 को ग्राम बसवाही, थाना कुण्डा में वादी की पत्नी पर गंभीर हमला किए जाने की घटना प्रकाश में आई है। वादी के पड़ोसी भोला सोनकर ने खेत के पास अकेली देखकर पीड़िता के साथ अश्लील हरकत की, विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी तथा धारदार हथियार से चेहरे पर प्रहार कर घायल कर दिया। इस संबंध में थाना कुण्डा में मु0अ0स0 327/25 धारा 74/352/351 (3)/109 (1)118 (2)बीएनएस बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में उ0नि0 मृत्युजय पाण्डेय मय हमराह का विनोद कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0 327/25 धारा 74/352/351(3)/109 (1)118 (2) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त महेन्द्र उर्फ भोला सोनकर उर्फ तूफान पुत्र कमलेश सोनकर उम्र 25 वर्ष नि० पश्चिम का पुरवा बसबाही थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत विदासिन नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. महेन्द्र उर्फ भोला सोनकर उर्फ तूफान पुत्र कमलेश सोनकर उम्र 25 वर्ष नि० पश्चिम का पुरवा बसबाही थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 मृत्युजय पाण्डेय मय हमराह का विनोद कुमार थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 23.11.2025

थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा 01 अदद तमंचा देशी नाजायज 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ 01 अभियुक्त ज्ञानचन्द्र सरोज को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्तों को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत बरई नहर के पास आम की बाग से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना कुण्डा प्रभारी निरीक्षक श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में उ0नि0 चन्द्रबली सिंह मय हमराह उ0नि0 निर्मल शर्मा, का0रामप्रताप द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान थाना कुण्डा के मु0अ0स0 327/25 धारा 74/352/351 (3)/109 (1) 118 (2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत बरई नहर के पास आम की बाग से 01 अभियुक्त ज्ञानचन्द्र सरोज पुत्र हुबलाल सरोज निविदासिन थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष के कब्जे से 01 अदद तमंचा देशी नाजायज 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त के पास से 01 अदद तमंचा देशी नाजायज 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामदगी के संबंध में थाना कुण्डा में मु0अ0स0 - 329/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- अभियुक्त ज्ञानचन्द्र सरोज पुत्र हुबलाल सरोज निविदासिन थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष ।

बरामदगी- 01 अदद तमंचा देशी नाजायज 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 चन्द्रबली सिंह मय हमराह उ0नि0 निर्मल शर्मा, का0रामप्रताप थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।